न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णयक [illegible] सिंह राठौड़, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या/ 2024/45 /जिला अजमेर

रामदेव पुत्र ओंकार जाति गुर्जर (मृतक) जरिये वारिसान—

1. कमला पत्नी स्व0 रामदेव,
2. नारायणी पुत्री स्व0 रामदेव
3. मनिषा पुत्री स्व0 रामदेव,
4. सुमी पुत्री स्व0 रामदेव,
5. माया पुत्री स्व0 रामदेव,

निवासीगण ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्त्यार आम जीतू पुत्र स्व0 श्री रामदेव, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर।

6. जीतू पुत्र स्व0 रामदेव, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर।
7. राधा पत्नी स्व0 अर्जुन पुत्र स्व0 रामदेव
8. राजू पुत्र स्व0 अर्जुन
9. सीमा पुत्री स्व0 अर्जुन

दोनों नाबालिगान जरिये वली माता स्वयं राधा पत्नी स्व0 अर्जुन

संभागीय आयुक्त अजमेर

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
2. पटवार हलका घूघरा जिला अजमेर
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
4. आयुक्त, जोन द्वितीय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

————प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 22–05–2019 प्रकरण संख्या 10/2016 बउनवान रामदेव व अन्य बनाम सरकार

उपस्थित— 1. श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः— 16—12—2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 रामदेव पुत्र ओंकार निवासीगण घूघरा के वारिसान के अपीलार्थीगण संख्या 1 से 9 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 व 152 व्य0प्र0स0, के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नहीं आने के कारण अस्वीकार कर खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 22—5—2019 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण के पिता रामदेव की की ओर से प्रस्तुत वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30—6—1992 के द्वारा ग्राम घूघरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 841, 1064, 1067, 1349, 1351, 1360, 1846, 1856, 2950 कुल किता—9 के खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने की डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 19—6—1999 स्वीकृत किया गया। जिनके पुराने खसरा नम्बर 553, 678, 676, 1264, 1276, 1693, 887, 888, 895 कायम किये गये थे। उक्त आराजियात पर अपीलार्थीगण के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व से बहैसियत खातेदार दर्ज चले आ रहे थे। उक्त आराजी को गलत रूप से सिवायचक दर्ज किया गया जिसके बाबत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 19—6—1999 में आराजी खसरा नम्बर 1351, 1846, 1064, 1067, 1349, 1856, 2950 और 841 कुल किता 8 ही दर्ज किये। उक्त खसरा नम्बरान में से एक खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का अंकन नामान्तरकरण में सहवन से त्रुटिवश रह गया। उक्त अंकन जो सिवायचक ही अंकित था को गलत रूप से जरिये नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 9—12—2013 के द्वारा आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज कर दी। जबकि वास्तव में अपीलार्थीगण के पिता विवादित आराजियात के खातेदार थे जिनके पक्ष में विधिसम्मत डिक्री पारित की हुई थी उक्त इन्द्राज भी त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज किया गया। उक्त सहवन से खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का अंकन नामान्तरकरण में प्रार्थी के पक्ष में दर्ज होने से रह गया जिसको दुरूस्त करवाने बाबत अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जो विधिसम्मत है।

उनका यह भी कथन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय से निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–1992 के द्वारा अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष की डिक्री करते हुए आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया था जिसका अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार को राजस्व अभिलेखों में उक्त निर्णय व डिक्री का इन्द्राज करने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सहदन से आराजी खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का अंकन छूट गया। जिसकी अपीलार्थीगण को जानकारी नहीं हुई जबकि वास्तविक स्थिति में अपीलार्थीगण आज भी अपनी खातेदारी की आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त स्थिति पटवारी हलका की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29–6–2018 से स्पष्ट होती है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि साबिक खसरा नम्बर 1360 जिसके हाल खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 दर्शाये गये है, को बिना किसी आधार के सिवायचक दर्शाते हुए विधिविरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 9–12–2013 के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी वास्तविक तौर पर न तो सिवायचक थी और न ही किसी प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किये जाने योग्य थी जबकि उक्त आराजियात पर आदिनांक तक अपीलार्थीगण का अनवरत कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायलय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा जो डिक्री दिनांक 30–6–1992 को जारी की गई थी उक्त डिक्री में समस्त खसरा नम्बरान वर्णित थे एवं नामान्तरकरण दर्ज करने के दौरान एक खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का नामान्तरकरण में अंकन रह गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त डिक्री दिनांक 30–6–1992 को अभी तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1360 न तो कभी सिवायचक थी और न ही उसे सिवायचक माना जा सकता था क्योंकि अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की गई है और सिवायचक मानकर जरिये नामान्तरकरण 114 दिनांक 9–12–2013 के द्वारा उक्त आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई जो त्रुटिपूर्ण होने के साथ ही उक्त नामान्तरकरण भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2019 निरस्त किया जाकर विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 हैक्टर का अमल दरामद अपीलार्थीगण के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 9–12–2013 जिसमें खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 961 रकबा

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

0.29 हैक्टर जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया गया है निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त प्रकरण राजस्व ग्राम घूघरा के खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 हैक्टर से संबंधित है। राजस्व ग्राम घूघरा का उक्त खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होने से जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। उक्त भूमि हस्तांतरण होने के पश्चात राजस्व ग्राम के उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर आज दिनांक तक स्वामित्व अजमेर विकास प्राधिकरण का होने से अपीलार्थीगण की अपील निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–5–2019 में उल्लेखित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नहीं आने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अपीलार्थी इस संबंध में सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद के माध्यम से ही यह अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश गुणावगुण पर पारित किया गया है जो विधिसम्मत है।

उनका यह भी तर्क है कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम जिला कलक्टर अजमेर ने आदेश दिनांक 27–9–2013 के जरिये भूमि हस्तांतरित करने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 9–12–2013 स्वीकृत किया गया है जो सही है जिसमें संशोधन की कोई गुन्जाईश नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात अपील प्रस्तुत की है इसके लिए अब उनका कोई हक अधिकार नहीं है। विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होकर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित होने से वर्तमान जमाबदी में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम नियमानुसार दर्ज की गई है। विवादित भूमि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को आबादी विस्तार हेतु प्रदान की जा चुकी है जिसका अपीलार्थीगण को दुरूस्ती कराने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त कथनों के समर्थन में 2015 (1)आर.आर.टी, पेज 10 (एस.सी), आर.आर.डी. JAN 2008 पेज 36, 2020 (1) आर.आर.टी. पेज 91 की नजीरें प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा ग्राम घूघरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 841, 1064, 1067, 1349, 1351, 1360,

Scanned with OKEN Scanner

1846, 1856, 2950 कुल किता–9 के खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने की डिक्री दिनांक 30–6–1992 को पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 19–6–1999 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के दौरान खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 हैक्टर बने है, का इन्द्राज अपीलार्थीगण के नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज करने से सहवन से छूट गया। तहसीलदार, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 9–6–2016 मे उल्लेख किया है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 841, 1064, 1067, 1349, 1351, 1360, 1846, 1856, 2950 कुल किता–9 कुल रकबा 15–6–10 बीघा का आदेश एवं डिक्री दिनांक 30–6–1992 द्वारा अपीलार्थीगण के पिता रामदेव पुत्र ऊंकार गुर्जर को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 19–6–99 द्वारा वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 841, 1064, 1067, 1349, 1351, 1846, 1856, 2950 कुल किता–8 कुल रकबा 12–10–10 बीघा पर रामदेव पुत्र ओंकार कौम गुर्जर के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया गया। तत्समय खसरा नम्बर 1360 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को किस कारण से खातेदारी का इन्द्राज नहीं किया गया के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 1360 राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से नवीन खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 हैक्टर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश से अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम हस्तांतरित होने से वर्तमान जमाबंदी में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम नियमानुसार दर्ज की गई है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1360 जिसके हाल खसरा नम्बर 961 बने है पूर्व में अपीलार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी अधिकार में थी। राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त खसरा नम्बर नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 19–6–99 में दर्ज नहीं होने के कारण उसे सिवायचक मान लिया गया। उक्त खसरा नम्बर 1360 को किस आधार पर सिवायचक घोषित किया गया है, का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1360 जिसके हाल खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 बने है, को बिना किसी आधार के सिवायचक दर्शाते हुए विधिविरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 9–12–2013 के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी वास्तविक तौर पर न तो सिवायचक थी और न ही किसी प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किये जाने योग्य थी जबकि उक्त आराजियात पर आदिनांक तक अपीलार्थीगण का अनवरत कब्जा काश्त चला आ रहा है और उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलार्थीगण के पिता स्व0 रामदेव पुत्र ओंकार के नाम से उक्त आराजियात डिक्री की गई थी। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खातेदारी की आराजियात थी। प्रस्तुत प्रकरण में यदि डिक्री अंतिम है तो उसकी जांच कर डिक्री अनुसार पालना करने हेतु निर्णय पारित करना चाहिए था।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, अजमेर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक 30 दिनांक 29–6–2018 से पटवारी हलका घूघरा व भू.अ. निरीक्षक गगवाना की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29–6–2018 में उल्लेख किया है कि ग्राम घूघरा का वर्तमान खसरा नम्बर 961 रकबा 0.29 हैक्टर का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 961 में ट्रेक्टर द्वारा हंकाई का कार्य चल रहा है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों के मुताबिक खसरा नम्बर 961 पर रामदेव पुत्र औंकार गुर्जर के वारिसान कमला पत्नी स्व0 रामदेव, जीतू पुत्र रामदेव, राधा पत्नी स्व0 अर्जुन, राजू पुत्र अर्जुन, सीमा पुत्री अर्जुन, नारायणी, मतिया, चूकी, माया, पुर्णिमा, रामदेव का वर्तमान में कब्जा काश्त है। इससे स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात आज दिनांक तक अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच किये बिना एवं पटवारी हलका घूघरा की मौका रिपोर्ट को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–05–2019 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–5–2019 निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण के पक्ष में जारी डिक्री यदि अंतिम है तो उसकी पालना कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner